संख्या-12/2019/472/77-3-2019-14बजट/18

प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 19 मार्च, 2019**

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 263,00,00,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-6240/यूपीडा/14/लेखा/वित्त नि0, दिनांक 25.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक''2852-उद्योग-80-सामान्य-800- अन्य व्यय-15-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)'' के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 39626.00 लाख में से शासनादेश संख्या-17/2018/1934/77-3-2018-14बजट/18 दिनांक 20.06.2018 द्वारा रू0 23,67,80,753.00, शासनादेश संख्या-37/2018/2961/77-3-2018-14बजट/18 दिनांक 25.09.2018 द्वारा रू0 23,93,82,740.00 एवं शासनादेश संख्या-41/2018/3496/77-3-2018-14बजट/18 दिनांक 20.12.2018 द्वारा रू0 84,73,86,069.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। हडको से लिये गये ऋण के सापेक्ष धनराशि रू0 263,00,00,000.00 (रू0 दो सौ तिरसठ करोड मात्र) के ब्याज की देयता आगणित की गई है। अत: उक्त शासनादेश दिनांक 20.06.2018, 25.09.2018 एवं 20.12.2018 के अनुक्रम में चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित उपलब्ध धनराशि रू0 348,64,36,507.00 में से रू0 263,00,00,000.00 (रू0 दो सौ तिरसठ करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018,दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 263,00,00,000.00 (रू0 दो सौ तिरसठ करोड मात्र) की वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक ''2852-उद्योग-80-सामान्य-800- अन्य व्यय-15-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता-20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)''के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

अनिल कुमार
उप सचिव

संख्या-12/2019/472(1)/77-3-2019,तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक,वित्त सांख्यिकीय निदेशालय,जवाहर भवन,लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6,औद्योगिक विकास अनुभाग-2
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।